२१

भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5 5रु.
भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5
20रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत बीस रुपये TWENTY R

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2016 पुनरीक्षण निग-2024-I-16

श्री मुकेश भार्गव अधिवक्ता
द्वारा आज दि. 24-6-16 को
प्रस्तुत
24-6-16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

W3
मुकेश भार्गव
24-6-16 एडवोकेट
ग्वालियर

1. अख्तर पुत्र बशीर मुसलमान
2. मेमुना पत्नी अख्तर मुसलमान

निवासीगण बालापुरा तहसील व जिला श्योपुर (म.प्र.)

.... आवेदकगण

विरूद्ध

जैरूउद्दीन पुत्र जलाउद्दीन गोरी
निवासी बालापुरा तहसील व जिला श्योपुर

...... अनावेदक

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जिला – श्योपुर द्वारा प्रकरण कमांक 58/15–16 अपील माल में पारित आदेश दिनांक 12.5.2016 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि :–

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश पत्रिका दिनांक 12.5.2016 एवं प्रचलित कार्यवाही अवैध अनुचित एवं विधि के उपबंधों के विपरीत होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2– यह कि, वादग्रस्त भूमि का आवेदकगण के पक्ष में तहसीलदार श्योपुर के प्र. कं. 57/2000–01/अ–19 में पारित आदेश दिनांक 11.12.01 द्वारा पटटा

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निग.2021-एक/2016 जिला श्योपुर

अख्तर आदि विरूद्ध जेरूउद्दीन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-08-19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 58/2015-**16/**अपील माल में पारित आदेश दिनांक 12.05.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला - श्योपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2- पक्षकार दिनांक 15-10-19 को कलेक्टर, जिला श्योपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0 के0 जैन) सदस्य	